न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, घाटमपुर, कानपुर देहात

मूलवाद सं० 72/2021

UPRN180012112021

दिनेश चन्द्र आदि बनाम रामप्रकाश

दिनांक – 07/02/2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। न्यायालय द्वारा पक्षकारों को सुलह समझौता हेतु अन्तर्गत धारा 89 सी०पी०सी० के लिए कहा गया परन्तु उनके द्वारा सुलह समझौता से मना किया गया और तनकीह बनाने पर बल दिया गया। उभय पक्ष को वाद बिन्दु विरचन पर सुना गया। उभय पक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखत वाद बिन्दु विरचित किये जाते हैं।

वाद बिन्दु

1. क्या वादीगण वादपत्र में वर्णित वादग्रस्त आराजी सं० 2759 रकबा 2 बिस्बा पर निर्मित मकान स्थित ग्राम पतारा परगना व तहसील घाटमपुर जनपद कानपुर नगर का मालिक, काबिज व दखीलकार है?
2. क्या वादीगण वादपत्र में वर्णित वादग्रस्त आराजी सं० 2759 रकबा 2 बिस्बा पर निर्मित मकान स्थित ग्राम पतारा परगना व तहसील घाटमपुर जनपद कानपुर नगर में प्रतिवादी के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है?
3. क्या वादीगण द्वारा वाद का मूल्यांकन कम किया गया है?
4. क्या वादीगण द्वारा अदा किया गया न्यायशुल्क अपर्याप्त है?
5. क्या उक्त वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है?
6. क्या वादीगण को कोई वाद कारण उत्पन्न हुआ?
7. क्या वादीगण किसी अन्य उपशम को पाने के अधिकारी है?

उपरोक्त वाद बिन्दु के अतिरिक्त अन्य वाद बिन्दु नहीं बनता है। पत्रावली वास्ते सुनवाई/निस्तारण वाद बिन्दु सं० 4,5 व 6 दिनांक 26/02/2026 को पेश हो।

(धर्मेन्द्र सिंह यादव)
सिविल जज(जू०डि०),
घाटमपुर, कानपुर देहात
यू०पी० 3562

Digitally signed by DHARMENDER SINGH YADAV
Date: 2026.02.07 16:10:37 IST
Reason: Document Owner
Location: Civil Judge J.D.J.M. Ghatampur Kanpur Dehat